न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 15/19

फकिरया पुत्र घासी मुसलमान आयु 63 साल जाति मुसलमान पेशा सेवानिवृत कर्मचारी निवासी ग्राम करमोदा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

अपीलांटान

बनाम

होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 16/18 निर्णय दिनांक 8.5.19 एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर मु0न0 33/17 निर्णय दिनांक 17.1.17)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री मुकेश बंसल
2. रेस्पोटेटान की और से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 01.11.19

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0न0 16/18 निर्णय दिनांक 8.5.19 एवं न्यायालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर के प्रकरण संख्या 33/17 निर्णय दिनांक 17.1.17 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मे अपीलांट द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 17.1.17 के विरूद्व प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि अपीलार्थी को सम्वत 2073 मे ग्राम करमोदा की आराजी ख0न0 711 रकबा 0.40 है0 चारागाह भूमि पर अतिचारी मानते हुए अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलार्थी के विरूद्व शास्ति आरोपित कर मौके से बेंदखल करने के अतिरिक्त 90 दिवस मे सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ पेश की गई थी। जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जाकर तहसीलदार सवाईमाधोपुर के निर्णय का यथावत रखने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तो एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अनुपस्थिति मे निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु भिजवाया गये नोटिस की तामिल

Scanned by CamScanner

भी अपीलांट द्वारा नही की गई है उसके भतिजे द्वारा होना बताया गया है। जो अपीलांट
से अलग रहता है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भतिजे की तामिल मानी जाकर
अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा
अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी माना है जबकि पत्रावली पर पश्चातवर्ती होने का कोई
साक्ष्य नही है केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर ही निर्णय पारित
किया है। जो निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा कब्जा छोडने एवं भविष्य मे अतिक्रमण नही
करने का शपथ पत्र भी पेश किया है। पटवारी हल्का द्वारा इस प्रकरण मे तीन तरह की
मौका रिपोर्ट पेश की गई है एक मे तो अपीलांट का कब्जा हटा लेने की रिपोर्ट है दुसरी
मे कब्जा होना बताया है ,जबकि मौके पर अपीलांट का कोई कब्जा नही है। अतः अपील
अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालयो के निर्णयो का अपास्त फरमाया
जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने बहस अपील मे बताया कि सम्वत
2073 मे ग्राम करमोदा की आराजी ख0न0 711 रकबा 0.40 है0 पर अपीलार्थी द्वारा गेहूं
की फसल काश्त की जाकर अतिचार किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के
बार बार अतिचार करने के आदि होने के कारण ही पश्चातवर्ती अतिक्रमि होने की रिपोर्ट
प्रस्तुत की है। अपीलार्थी स्वयं एक सेवानिवृत राजसेवक है जिसके द्वारा राजकीय भूमि पर
अतिचार किया गया है। यदि इस प्रकार के लोक सेवक ही राजकीय भूमि पर अतिचार
करेगे तो अन्य लोगो के होसले बुलन्द हो जावेगे। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा
अतिचार नही करने के संबंध मे किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है
जिससे उसका अतिचार सिद्व नही हो सके। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक
रूप से जॉच के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किये है। जिनमे किसी प्रकार की
कोई कानूनी भूल निहित नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष विद्वान अभिभाषको की बहस मे प्रस्तुत तर्को पर मनन करने व पत्रावली का
अवलोकन से प्रकट होता है कि पटवारी हल्का करमोदा द्वारा ख0न0 711 पर पश्चातवर्ती
अतिचारी की रिपोर्ट पर तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दिनांक 9.1.17 को नोटिस जारी किया गया। जिसमे
अपीलार्थी से 17.1.17 को हाजिर होने व हेतुदर्शित करने की अपेक्षा की गई थी। नोटिस
की तामिल अपीलार्थी के भतीजे गुलशेर ने प्राप्त की है।। जिसकी पालना मे अपीलार्थी
स्वयं मातहत न्यायालय मे उपस्थित भी हुआ है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण पटवारी हल्का की
रिपोर्ट व भू अभिलेख निरीक्षक की अभिशंषा से स्पष्टतः प्रकट होता है। अपीलांट द्वारा
जिस भूमि पर कब्जा किया हुआ है उसकी किस्म चारागाह है। जो बेजुबान जानवरो के
चरने योग्य भूमि है। अपीलांट स्वयं एक सेवानिवृत राजसेवक व्यक्ति है। जिसके द्वारा
राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। यदि इस प्रकार के अतिक्रमियो के विरूद्व
कार्यवाही नही की जाती है तो अन्य लोगो के हौसले बुलन्द हो जावेगे। पत्रावली पर

Scanned by CamScanner

तहसीलदार सवाईमाधोपुर को प्रेषित पटवारी हल्का करमोदा व भू अभिलेख निरीक्षक की दिनांक 26.10.18 की रिपोर्ट है। जिसमे अपीलांट का कब्जा नही बताया है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर को प्रेषित अन्य रिपोर्ट दिनांक 8.12.18 मे जोत लगाकर कांटे बबूल की बाड लगाने बाबत की है। दिनांक 8.12.18 की रिपोर्ट से पुनः अतिक्रमण किये जाने का कथन प्रबल होता है। अपीलांट बार बार अतिक्रमण करने का आदि होने के कारण ही पटवारी हल्का द्वारा पश्चातवर्ती अतिचारी होने की रिपोर्ट की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा जो निर्णय पारित किये गये है उनमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतःअपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 16/18 निर्णय दिनांक 8.5.19 एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर मु0न0 33/17 निर्णय दिनांक 17.1.17 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.11.19 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

1.11.19

(जी0एल0 रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.14 17:11:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: